



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2010/माघ 26, 1931

No. 71]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2010/MAGHA 26, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 80(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 153 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए,—

(क) "सशस्त्र सीमा बल" के सदस्य के निम्नतर रैंक के तत्समान रैंक के किसी अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन उक्त संहिता की धारा 41 (1), धारा 46, धारा 47, धारा 51 (1), धारा 52, धारा 102, धारा 149, धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सशक्त किया गया है;

(ख) बल के वरिष्ठ अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के तत्समान रैंक के किसी अधिकारी को इसकी धारा 41(2), धारा 48, धारा 53, धारा 100, धारा 129 और धारा 131 के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उक्त संहिता के अधीन सशक्त किया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल को निम्नलिखित रूप में सशक्त करती है, अर्थात् :—

(क) सशस्त्र सीमा बल का कोई सदस्य इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं के भीतर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा

41 (1), धारा 46, धारा 47, धारा 51 (1), धारा 52, धारा 102, धारा 149, धारा 150, धारा 151 और धारा 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा; और

(ख) सशस्त्र सीमा बल का कोई वरिष्ठ अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त संहिता की धारा 41(2), धारा 48, धारा 53, धारा 100, धारा 129 और धारा 131 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

अनुसूची

उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा से लगे और इसके प्रचालन के किसी क्षेत्र में 15 किलोमीटर की मेखला के भीतर आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।

[फा. सं. III-11039/40/2009-जो]

अशोक लवासा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2010

G.S.R. 80(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that for the purposes specified in sub-section (1) of section 153 of Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007),—

(a) an officer of the rank corresponding to that of the lowest rank of member of the "Sashastra

- Seema Bal" is empowered under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) to exercise and discharge the powers and duties under sections 41 (1), 46, 47, 51(1), 52, 102, 149, 150, 151 and 152 of the said Code;
- (b) an officer of the rank corresponding to superior officer and subordinate officer of the Force is empowered under the said Code to exercise and discharge the powers and duties under sections 41(2), 48, 53, 100, 129 and 131 thereof;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby empowers the Sashastra Seema Bal as follows, namely:—

- (a) that any member of the Sashastra Seema Bal may, within the local limits of the areas specified in the Schedule hereto annexed exercise

and discharge the powers and duties under sections 41(1), 46, 47, 51(1), 52, 102, 149, 150, 151 and 152 of the Criminal Procedure Code, 1973 (2 of 1974); and

- (b) any superior officer or subordinate officers of the Sashastra Seema Bal may, within the local limits of the area specified in the said Schedule, exercise and discharge the powers and duties under section 41(2), 48, 53, 100, 129 and 131 of the said Code.

SCHEDULE

So much of the area comprised within a belt of 15 kilometers in the States of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Sikkim, Assam and Arunachal Pradesh running along the Indo-Nepal and Indo-Bhutan Border, and in any area of its operation.

[F. No. III-11039/40/2009-G]

ASHOK LAVASA, Jt. Secy.